

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आशा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० अल्मोडा	सामु०स्वा०केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21068

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोडा/
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गीना रानी पंचोली	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21070

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेश्मा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 प्रेमनगर, देहरादून	जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21072

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मंजू	नर्सिंग अधिकारी	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०केन्द्र देवायल, सल्ट, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21074

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राक्धानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नमिता नेगी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र थत्यूड, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासकीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आवरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


 (जे0 एस0 चुफाल)
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुपमा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० अल्मोडा	सामु०स्वा०केन्द्र बैजनाथ, बागेश्वर	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21078

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० अल्मोडा।
- मुख्य/दरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका वर्मा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रुडकी, हरिद्वार	सामु०स्वा०केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21080

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्ड, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रुडकी, हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


 (जे० एस० चुफाल)
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ममता बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकि0 सोमेश्वर, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21082 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला बेस चिकि0 हल्द्वानी/सोमेश्वर, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीलम चौधरी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट, अल्मोडा।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 34/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर मॉडल स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलेज-04 से कॉलेज- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शशि	नर्सिंग अधिकारी	जिला महिला चिकि० हरिद्वार	जिला चिकि० पौड़ी	जनहित


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासकीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/ उप0/169/2024/ 21086 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० हरिद्वार/जिला चिकि० पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


 (जे० एस० चुफाल)
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका चौहान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 पौडी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21088

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौडी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार/जिला चिकि0 पौडी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौडी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गंगा बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	प्रा०स्वा०के० जी०बी० पन्त चिकि० नैनीताल	सामु०स्वा०केन्द्र भिकियासैण, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21090

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 08 जनवरी, 2018, शासनदेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनदेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनदेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अरुणा	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सा रानीखेत, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये द्वाारा प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित समयवधि में अवसुक्त न किया जाये अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र परीक्षा में तदनुसार बर्णित कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि के कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सारा आधी)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21092

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल/उप जिला चिकित्सा रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


 (सो एवो पुकाल)
 संयुक्त निदेशक (पैरा/चिकित्सा)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अरुणा	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21092

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल/उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना जोशी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	जिला चिकि0 पौडी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र समी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21094

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौडी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौडी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौडी/उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/दरिफ्ट कोषाधिकारी, देहरादून/पौडी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीतू बिलियम	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21096

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजु पुण्डरी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21066

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी/ उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री ऋतु सिंह	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21064

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-12 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीलिमा बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र पदमपुरी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21062 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकि0 नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हेमलता रयाल	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21060

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश/ जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 बुधाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21058

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	जिला चिकि0 पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21058

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/जिला चिकि0 पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सीमा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	सामु0स्वा0केंद्र प्रतापनगर, टिहरी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दवाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

21056

तददिनांक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संगुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती किरन काला	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 कोटद्वार, पौड़ी	सामु0रवा0केन्द्र जखोली, रूद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21054

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कोटद्वार, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
12108124

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शालिनी राणा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0रवा0के0 कीर्तिनगर, टिहरी	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21052

तददिनांक।

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना तडियाल	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली	जिला चिकि0 देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21050 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली/जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223528/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ज्योति राय	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	जिला चिकि० देहरादून	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/ 21048

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/जिला चिकि० देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/रुद्रप्रयाग/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुगल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुभोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सुनीता आर्या	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 बैजनाथ, बागेश्वर	उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/ उप0/169/2024/

21046

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आरती कार्की	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० धारचूला पिथौरागढ़	महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्ट कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21044 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि० धारचूला, पिथौरागढ़/महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती निकिता गर्बाल	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 मुनस्यारी, पिथौरागढ़	उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़	निजी अनुरोध


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21042 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 धारचूला पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मौना	नर्सिंग अधिकारी	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल	उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21040 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०डी० पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल/उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती काजल बजाज	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 देवायल सल्ट अल्मोडा	जिला चिकि0 रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21038 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 रुद्रपुर उधमसिंहनगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप40/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी परधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना आर्या	नर्सिंग अधिकारी	नहिता चिकित्सा नैनीताल	उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी को प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रत्याग-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये। निर्धारित सनपायधि में अनुपस्थिति न किया जाना अनुरासहीनता मानी जायेगी तथा अनुमोदन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक को नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(लारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप40/169/2024/

21836

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुर्नाल नगड नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नहिता चिकित्सालय, नैनीताल/उप जिला चिकित्सा हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जो रसो कुशल)
संयुक्त निदेशक (पैरा/मैडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमित कुमार	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 जोशीमठ, चमोली	जिला चिकि0 देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21034

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली पी०सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० अल्मोडा	जिला चिकि० पिथौरागढ	निजी अनुरोध


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21032 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० अल्मोडा/जिला चिकि० पिथौरागढ।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता राणा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 थत्यूड, टिहरी	जिला चिकि0 देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21030

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोलम-04 से कोलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुधी दिव्या त्रिपाठी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा	सामु०स्वा०के० कोटाबाग, नैनीताल।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सन्नी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/

21028

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- आदेश :-

एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर मंडल स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख क्रिकेट कोलम-04 से कोलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रयाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बेबी देवी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी	जिला चिकि० हरिद्वार	निजी अनुप्रेष

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अदभुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की वरिष्ठ पत्रिका में तदनुसार प्रदर्शित कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० कोटद्वार, पौड़ी/जिला चिकि० हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हिमांगी सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 चम्पावत	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21024 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 चम्पावत/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संजू डेनियल	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 पुरोला, उत्तरकाशी	जिला चिकि0 देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आयी)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21022

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून दिनांक 1/3 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुशी आशमा खातून	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 जखोली, रुद्रप्रयाग	जिला चिकि0 हरिद्वार।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सारा आया)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21070

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223528/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हेमलता	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० धारचूला पिथौरागढ़	उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21018

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० धारचूला, पिथौरागढ़/उप जिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती पूजा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	जिला चिकि० हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21016

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० रुद्रप्रयाग/जिला चिकि० हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे० एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनु	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 नौगांव उत्तरकाशी	सामु0स्वा0के0 बहादुराबाद, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21014

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे० एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ममता जोशी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी	जिला चिकि० देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21012

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी/जिला चिकि० देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


3108/24
(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशीष पुरसोडा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 प्रतापनगर टिहरी	जिला चिकि0 देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।


पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21009

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी, गढ़वाल/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक-05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/XXX (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक-08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राधिकारों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 हिण्डोलाखाल	जिला चिकि0 देहरादून	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 34/पैरा/उप0/169/2024/ 21007

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कौलम -04 से कौलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सादिक अली	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 बेतालघाट नैनीताल	उप जिला चिकि0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।	निजी अनुरोध


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आया)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21005 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकि0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/ नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


13/08/24
(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रूचि नेगी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	जिला चिकि0 देहरादून	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री नवीन अग्रवाल		जिला चिकि0 देहरादून	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून	

- सम्बन्धित कार्मिको को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिको को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

21003

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक- 13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रियंका चौहान	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	सामु०स्वा०के० यमकेश्वर, पौड़ी	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती सोनिया अंजुल द्विवेदी		सामु०स्वा०के० यमकेश्वर, पौड़ी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून	

- सम्बन्धित कार्मिको को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिको को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 21001

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/

देहरादून: दिनांक-13 अगस्त, 2024

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1221278/xxx (2)/2024 /E-33080 दिनांक-28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX (2)/2024/E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ममता	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	मेला चिकि0 हरिद्वार	पारस्परिक
2	श्रीमती लक्ष्मी ध्यानी		मेला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 देहरादून	स्थानान्तरण

- सम्बन्धित कार्मिको को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रनार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिको को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/169/2024/ 20998

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/ हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून/उप जिला मेला चिकि0 हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।



(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)